

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

अधि०सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-01/2025/461

/पटना, दिनांक-25/12/26


--:अधिसूचना:-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत लघु जल संसाधन विभागान्तर्गत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-03.02.2026 को आहूत बैठक में समिति की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित बिहार अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक अभियंता(असैनिक)(वेतन स्तर-11) को अधीक्षण अभियंता (असैनिक) में, उसके विहित वेतनमान(वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/ आई०डी०/गृह जिला/ जन्म तिथि/से०नि० तिथि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (वर्ष-2016/2025)	आरक्षण कोटि	वर्तमान कोटि पद
1	2	3	4	5
1.	श्री आलोक प्रसाद /4414/रोहतास/ 01.01.1969/31.12.2028	45/2016, 05/2025	SC	कार्यपालक अभियन्ता

- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है ।
- संबंधित पदाधिकारी के पदस्थापन होने तक के लिए उनके द्वारा वर्तमान में धारित पद को अधीक्षण अभियन्ता(विहित वेतनमान-वेतन स्तर-13) में उल्लिखित किया जाता है ।
- श्री प्रसाद को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता(असैनिक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा ।
- अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली,2023 के प्रावधानों के तहत अधिसूचना में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पायी जाती है तो प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव  
लघु जल संसाधन विभाग ।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक- 1461

/पटना, दिनांक- 25/2/26

प्रतिलिपि- अवर सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।  
अनुलग्नक- सी0डी0 सहित हार्ड कॉपी ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 1461

/पटना, दिनांक- 25/2/26

प्रतिलिपि-प्रधान महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 1461

/पटना, दिनांक- 25/2/26

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान प्रधान/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 1461

/पटना, दिनांक- 25/2/26

ई-मेल प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री आलोक प्रसाद, कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 1461

/पटना, दिनांक- 25/2/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव /सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- 1461

/पटना, दिनांक- 25/2/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 कोषांग को निदेश है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही सी0डी0 तैयार कर प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराया जाय ।

सरकार के अपर सचिव ।